


भोजन और खेती




ऊपर: डेक्कन डेवलेपमेंट सोसायटी (डीडीएस) की महिलाओं द्वारा सुरक्षित रखे जा रहे बीजों की विविधता।



ऊपर: २००९ में डीडीएस द्वारा आयोजित किया गया एक घुमंतू जैव विविधता उत्सव।




ऊपर : कम्युनिटी रेडियो के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना डीडीएस के कार्यक्रमों का हिस्सा रहा है।



रागी आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में एक महत्वपूर्ण अनाज है।



जैविक मूंगफली तेल की बॉटलिंग के लिए टिम्बकटू कलेक्टिव द्वारा शुरु की गई इकाई।



टिम्बकटू कलेक्टिव इस बात को भली-भांति समझता है कि साझा संसाधनों का प्रबंधन खाद्य स्वायत्तता के साथ निहित रूप से जुड़ा है।

भोजन इंसानी खुशहाली का आधार है। हमारे देश में ऐसे प्रयासों के असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे जो न केवल परंपरागत बीज और पशु विविधता के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं बल्कि जैविक सिद्धांतों पर आधारित उत्पादन से लेकर स्थानीय बाजारों तक उपभोग शृंखला की सारी कड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस क्रम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में सक्रिय डेक्कन डेवलेपमेंट सोसायटी (डीडीएस) सबसे रचनात्मक प्रयासों में से एक है। दिनोदिन वैश्वीकृत होती जा रही दुनिया में बीज और फसल उत्पादन से लेकर प्राकृतिक संसाधन आधार तक और क्षेत्रीय बाजार पैदा करने से लेकर एक शैक्षिक साधन के रूप में मीडिया के सदुपयोग तक खाद्य शृंखला की स्वायत्तता बचाए रखना इस सोसायटी का एक मुख्य उद्देश्य है। यह स्वायत्तता महिलाओं के संगमों या स्वैच्छिक ग्राम स्तरीय संगठनों के सशक्तिकरण के जरिए हासिल की जा रही है। इन संगठनों में अधिकांशतः दलित महिलाएं होती हैं।

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में टिम्बकटू कलेक्टिव भी इसी तरह के सिद्धांतों पर काम कर रहा है। इस कलेक्टिव की स्थापना नब्बे के दशक की शुरुआत में ग्रामीण स्वयं-सहायता समूहों के गठन के साथ की गई थी। ये समूह बचत और ऋण गतिविधियों पर केंद्रित थे। तब से अब तक कलेक्टिव खाद्य उत्पादन से लेकर साझा संसाधनों के प्रबंधन तक विविध प्रकार के छोटे-बड़े मुद्दों पर कोऑपरेटिव बनाने में सक्रिय रहा है।

गौर करने की बात यह है कि डीडीएस और टिम्बकटू कलेक्टिव, दोनों ही खुद को प्रचलित जैविक प्रमाणन से दूर रखे हुए हैं क्योंकि यह न केवल बेहद महंगी प्रक्रिया है बल्कि 'लाइसेंस राज' संस्कृति को भी बढ़ावा देती है। इसके स्थान पर इन संगठनों ने सहभागी गारंटी व्यवस्था (पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम - पीजीएस) की पद्धति अपनाई है जो कृषक-कृषक साथी समीक्षा, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और परस्पर विश्वास के मूल्यों पर आधारित है।